न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

निर्वाचन अपील सं. 39/2025

अपीलांट्स–	***बनाम***	**अप्रार्थीगण–**
1. पीराराम पुत्र डालुराम 2. हीरोदेवी पत्नी पीराराम 3. चौखाराम पुत्र पीराराम 4. गवरी देवी पत्नी डालुराम 5. सताराम पुत्र डालुराम 6. शांतिदेवी पत्नी सताराम 7. हुकमाराम पुत्र सताराम 8. हुकमाराम पुत्र सताराम 9. अणसीदेवी पत्नी हुकमाराम जाति जाट निवासी मालपुरा ग्राम पंचायत मालपुरा तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर		राजस्थान राज्य जरिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) गुड़ामालानी

निर्वाचन अपील विरूद्ध प्रकरण संख्या 39/2025 निर्णय दिनांक 19.05.2025 द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) गुड़ामालानी जिसके तहत अपीलांट्स के नाम जोड़ने से मना करने का आदेश पारित किया गया।

उपस्थिति :–

श्री उगराराम सहारण, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 09/12/2025

1. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलांट्स द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) गुड़ामालानी के समक्ष प्ररूप–2 में आवेदन प्रस्तुत कर नि[illegible] पीराराम पुत्र डालुराम, हीरो देवी पत्नी पीराराम, [illegible] गवरी देवी पत्नी डालुराम, सताराम पुत्र डालुराम, [illegible]राम, हुकमाराम पुत्र [illegible]म का स्थान परिवर्तन के फलस्वरूप ग्राम [illegible]णी खोथो की ढा[illegible] नाम स्थानान्तरित कर मतदान केन्द्र मालुपरा में जोड़ने का आदेश फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:37:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

इस पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) गुड़ामालानी द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई एवं तहसीलदार नोखड़ा से जांच रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलांट्स का बताये गये निवास स्थान पर निवास नहीं होने से ग्राम मालपुरा की मतदाता सूची में अपीलांट्स के नाम नियमानुसार जोडा जाना न्यायोचित नहीं मानते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.2025 पारित किया गया। अपीलांट्स द्वारा इस आदेश से व्यथित होकर पुनः यह अपील दिनांक 06.08.2025 को संयुक्त रूप से इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया गया है।

2. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम पर सर्वप्रथम सुनवाई कर विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

3. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट पीराराम व अन्य द्वारा एक आवेदन अधिनस्थ अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) गुड़ामालानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम हुकमोणी खोथो की ढाणी मूल राजस्व ग्राम मालपुरा से अलग हुआ है जिसमें ग्राम मालपुरा में अपीलांट्स कृषि एवं 18 वर्षो से निवासरत है। वर्तमान में मतदाता सूची के नाम मतदान केन्द्र हुकमोणी खोथो की ढाणी में है जो हमारे घर से करीबन 5 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर स्थित है तथा ग्राम मालपुरा हमारे घर से बुथ मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। अपीलांट्स द्वारा [illegible] व [illegible] भी बीएलओ को मतदान केन्द्र हुकमोणी खोथो की ढाणी से स्थानान्तरित कर मतदान केन्द्र मालुपरा में जोड़न का मौखिक निवेदन किया परन्तु नाम स्थानान्तरित नहीं किये जाने से अपीलांट्स द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:37:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

गुड़ामालानी को आवेदन प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स का कथन है कि अपीलांट्स का घर नजदिकी स्थित बूथ पर नाम जोडने से मतदान करने में सुविधा होगी जिसे समय की बचत होगी एवं चुनाव आयोग का भी उद्वेश्य है कि मतदाता को मतदान करने में अधिकारिक सुविधाजनक स्थान पर मतदान करने का अधिकार दिया जावे। इस बाबत अपीलांट्स द्वारा ग्राम मालपुरा में स्थित मकान में विद्युत कनेक्शन के बिल की प्रति एवं परिवार के राशन कार्ड की प्रतिया, आधार कार्ड की प्रतियो प्रस्तुत की गई। इस पर सहायक निर्वाचन/रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी नोखड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है जिसमें अपीलांट्स के मालपुरा के आवासीय मकान एवं मालपुरा पोलिगं बुथ एक किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं और हुकमोणी खोथों की ढाणी आवासीय मकान से पोलिग बुथ दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रार्थी स्वयं अपने परिवार के नाम ग्राम मालुपरा के पोलिंग बुथ में जुडवाना चाहता है जो उनके मकान की दूरी के अनुसार जोड़ा जाना उचित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोखड़ा द्वारा रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना मात्र काल्पनिक आधारों पर एवं राजनैतिक दबाव में आकर षडयंत्रपूर्वक तरीके से अपीलांट्स के नाम ग्राम पंचायत हुकमोणी खोथो की ढाणी से मालपुरा की मतदाता सूची से स्थानान्तरित नहीं किये जाने का अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विरूद्ध पारित किया गया है जो अपास्त योग्य है। अतः अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाये जावें एवं अपीलांट्स के नाम ग्राम पंचायत हुकमोणी खोथो की ढाणी से ग्राम मालुपरा की मतदाता सूची मे स्थानान्तरित करने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:37:21 IST
Reason: SelfAttested

4. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधीनस्थ प्राधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) गुड़ामालानी का मूल अपीलाधीन अभिलेख एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता हैं

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

कि अपीलांट्स के ग्राम मालपुरा में कृषि भूमि धारित एवं घर बना हुआ है। प्रार्थी का उक्तानुसार आधार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम–1950 की धारा–20 की उपधारा–1 के तहत परिभाषित साधारण निवास की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता है। इसके विरूद्व अधिवक्ता अपीलांट्स का कथन है कि अपीलांट्स के मालपुरा के आवासीय मकान एवं मालपुरा पोलिगं बुथ से 500 मीटर किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं और हुकमोणी खोथों की ढाणी आवासीय मकान से पोलिग बुथ 5 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी पर स्थित है। अपीलांट्स स्वयं अपने परिवार के नाम ग्राम मालुपरा के पोलिंग बुथ में जुड़वाना चाहता है जो उनके मकान की दूरी के अनुसार जोड़ा जाना उचित है। इसके विपरित प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी पीराराम का परिवार हुकमोणी खोथों की ढाणी के खसरा नंबर 288/5 में निवासरत है साथ ही उल्लेखनीय है कि प्रार्थी का परिवार उक्त ग्राम की मतदाता सूची में नाम अनवरत जारी है। इस प्रकार अधिवक्ता अपीलांट्स एवं अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं तहसीलदार नोखड़ा से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांट्स द्वारा मतदाता सूची में ग्राम हुकमोणी खोथो की ढाणी से नाम हटाये जाने का विधिक आधार व व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में अपीलांट्स का मतदाता सूची में नाम स्थानान्तरित किये जाने का दावा सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश को पुष्ट किया जाता हैं।

6. निर्णय आज दिनांक 09.12.20[illegible] को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:37:21 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाडमेर